बिहार सरकार,

श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

श्री शिवनाथ पाण्डेय, श्रम अधीक्षक, वैशाली–02 के विरूद्ध श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक– 3708, दिनांक– 12.07.2017 द्वारा प्रपत्र 'क' गठित करते हुए यह आरोप प्रतिवेदित किया गया कि सहरसा जिला में Child Labour Tracking System (CLTS) में दर्ज 30 बच्चों में से दिनांक– 30.06.2017 तक मात्र 20 बच्चे के नाम Fixed Deposit कराया गया। यह कृत्य कर्तव्यहीनता, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना तथा स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। श्रमायुक्त, बिहार के उक्त पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक– 1974, दिनांक– 03.08.2017 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम– 19 के तहत श्री पाण्डेय से स्पष्टीकरण की माँग की गई।

2. श्री शिवनाथ पाण्डेय का स्पष्टीकरण श्रम अधीक्षक कार्यालय, वैशाली के पत्रांक– 737, दिनांक– 12.08.2017 द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ। श्री पाण्डेय ने उल्लेख किया है कि वैशाली जिले में दिनांक– 13.06.2017 के पूर्व कुल 26 बाल श्रमिकों के लिए आवंटन प्राप्त था, जिसमें से 24 बाल श्रमिकों का FD करा दिया गया था। 04 बाल श्रमिकों का FD करा दिये जाने के बावजूद भी तकनीकी गड़बड़ी के कारण CLTS में अपलोड नहीं किया जा सका। श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी प्रभारी चेहराकलां एवं पातेपुर के प्रतिवेदन के आधार पर श्री पाण्डेय ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि 02 बाल श्रमिकों के घर पर उपस्थित नहीं रहने के कारण उपरोक्त अवधि में उनका FD नहीं हो पाया एवं उनके घर आने के पश्चात ही जुलाई 2017 में उनका FD कराया जा सका। शेष बाल श्रमिकों के संबंध में श्री पाण्डेय ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि इनके लिए आवंटन श्रमायुक्त, बिहार के पत्रांक–3272, दिनांक– 15.06.2017 के द्वारा प्राप्त हुआ। इस समय श्री पाण्डेय अपनी पुत्री की शादी के लिए दिनांक– 13.06.2017 से 23.06.2017 तक अवकाश में थे। श्रमायुक्त, बिहार का उपर्युक्त पत्र उन्हे दिनांक– 27.06.2017 को जिला पदाधिकारी, वैशाली के कार्यालय से प्राप्त हुआ एवं इस पर माह जुलाई 2017 में कार्रवाई की गई।

3. श्री शिवनाथ पाण्डेय से प्राप्त स्पष्टीकरण पर श्रमायुक्त, बिहार का मंतव्य प्राप्त किया गया। श्रमायुक्त, बिहार ने अपने मंतव्य में यह अंकित किया है कि श्री पाण्डेय के 30.03.2017 के अधियाचना के आधार पर उसी दिन उनके द्वारा राशि आवंटित करायी गयी। अधियाचना करने से पूर्व श्री पाण्डेय को बच्चे का बाल श्रमिक होने का, CLTS में प्रविष्टि एवं जाँच के आधार पर प्रतिवेदन भेजने हेतु कई बार निदेशित किया गया। साथ ही श्रमायुक्त, बिहार द्वारा Whats app/SMS से लम्बित मामलों के निष्पादन हेतु स्मारित किया गया। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय पदाधिकारीयों के समीक्षा बैठकों में इस योजना को Top–Priority मानते हुए त्वरित कार्रवाई का निदेश दिया गया था, फिर भी श्री पाण्डेय द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया गया। श्रमायुक्त, बिहार ने अपने मंतव्य में यह भी प्रतिवेदित किया है कि दिनांक– 30.03.2017 से 30.06.217 तक श्री पाण्डेय द्वारा 24 बाल श्रमिकों का FD कराया गया, लेकिन 04 बाल श्रमिकों का FD नहीं कराया गया। श्रमायुक्त, बिहार ने यह उल्लेख किया है कि श्री पाण्डेय द्वारा तकनीकी समस्या कभी भी उनके संज्ञान में नहीं लाया गया।

4. श्री शिवनाथ पाण्डेय के स्पष्टीकरण की श्रमायुक्त, बिहार के मंतव्य के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री पाण्डेय का स्पष्टीकरण पूर्णतः योग्य नहीं पाया गया एवं उस दृष्टिकोण से श्री पाण्डेय के विरूद्ध लघु दण्ड का मामला बन सकता था परन्तु श्री पाण्डेय की सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक– 31.12.2017 होने से उनके विरूद्ध अधिरोपित अधिकांश लघु दण्ड भविष्य में प्रभावी न हो पाने एवं बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(ख) के तहत

विभागीय कार्यवाही चलाने के औचित्यपूर्ण नहीं रह जाने के कारण श्री पाण्डेय को चेतावनी देते हुए उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है।

5. अतएव श्री शिवनाथ पाण्डेय, श्रम अधीक्षक, वैशाली–02 को चेतावनी देते हुए उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार किया जाता है।

6. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री शिवनाथ पाण्डेय, श्रम अधीक्षक, वैशाली–02 को निबंधित डाक से उपलब्ध करायें।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(अमरेन्द्र नारायण मिश्र)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02) 17/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, ई. बजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियॉ विभाग को उपलब्ध कराये।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02) 17/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02) 17/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, वैशाली / कोषागार पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02) 17/2017 श्र०सं०– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– श्री शिवनाथ पाण्डेय, श्रम अधीक्षक, वैशाली–02 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– 6/श्रम वि० आ०(02) 17/2017 श्र०सं०– 3115 पटना, दिनांक–16/11/2017

प्रतिलिपि– श्रमायुक्त, बिहार, पटना/विशेष सचिव/अपर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–1,2 एवं गोपनीय चारित्री/सभी उप सचिव/सभी विशेष कार्य पदाधिकारी/लोक सूचना पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी (सरकार पक्ष)/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16/11/17

सरकार के उप सचिव

16/11/17